


- :: आदेश :: -

यत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता एवं कृषि प्रयोजनार्थ आने व जाने अथवा संसाधनों को लाने ले जाने के लिए मार्ग का अभाव सिद्ध होने के कारण प्रार्थी के खेत खसरा नं. 516 रकबा 2.3876 हैक्टेयर मोजा कसनाऊ के लिए माफिक नजरी नक्शानुसार ग्राम-कसनाऊ के खसरा नं. 517 रकबा 1.0926 हैक्टेयर में से तहसीलदार जायल से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 04.12.2024 के अनुसार स्वीकृत व घोषित किया जाता है। तहसीलदार जायल से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 04.1.2024 प्रकरण में निर्णय का भाग रहेगी। तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते हैं कि वे उक्त ग्राम कसनाऊ के खसरा नं. 517 में से रास्ते के उपयोग हेतु आने वाली भूमि के एवज में प्रार्थी से वर्तमान नवीनतम डी.एल.सी. दर अनुसार 2 गुणा राशि (माफिक मौका रिपोर्ट/तकमीना) प्रभावित खातेदार कृषक अप्रार्थी संख्या 1 चुनाराम पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी कसनाऊ को नियमानुसार भुगतान कराने की कार्यवाही करे। उक्त खसरा नं. में से बैंक के रहन खसरा नं. का रहन यथावत रहेगा।

माफिक आदेश बाद अपील मियाद के राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट पेश करे। तदनुसार तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 21/02/25 को मेरे द्वारा सरे ईजलास सुनाया गया।




(अभिदम्भा)
सहायक कलेक्टर एवं
सुपरीफ़्ड. अधिकारी जायल
एस.डी.ओ. जयपुर